



2026:AHC:129391

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय**

**आपराधिक विविध अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 482(बी.एन.एस.एस.) संख्या -  
1932 वर्ष 2026**

उदय प्रताप सिंह एवं अन्य

.....आवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष

आवेदकगण के अधिवक्ता

:

संजय कुमार पाण्डेय

विपक्षी पक्ष की ओर से अधिवक्ता

:

शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 67**

**माननीय न्यायमूर्ति श्री समीर जैन**

1. आवेदकगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री एस.के. पाण्डेय तथा राज्य-प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री राजीव धर द्विवेदी को सुना गया।
2. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र आवेदकगण की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 804 वर्ष 2025, धारा 85, 74, 115(2), 351(3) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) तथा धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना चिलुआताल, जनपद गोरखपुर में विचारण लंबित रहते हुए, उन्हें विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है।
3. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदकगण क्रमशः प्रथम सूचना दाता (सूचनाकर्त्री) के जेठ एवं ननदोई हैं तथा उन्हें इस प्रकरण में मिथ्या एवं दुर्भावनापूर्ण ढंग से अभियुक्त बनाया गया है।
4. उन्होंने आगे निवेदन किया कि प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत, इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक **25.02.2026** को आवेदकगण को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान करने की कृपा की थी।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।  
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**

5. उन्होंने आगे यह भी निवेदन किया कि प्रकरण की विवेचना अभी भी लंबित है तथा आवेदकगण को अपनी गिरफ्तारी की आशंका बनी हुई है। अतः प्रार्थना की गई है कि दिनांक **25.02.2026** को इस न्यायालय द्वारा प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत की पुष्टि करते हुए आवेदकगण को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर बने रहने की अनुमति प्रदान की जाए।
6. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (ए.जी.ए.) ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, किन्तु इस तथ्य का खंडन नहीं किया कि आवेदकगण क्रमशः सूचनाकर्त्री के जेठ एवं ननदोई हैं। तथापि, उन्होंने यह भी अवगत कराया कि वर्तमान प्रकरण में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 35(3) के अंतर्गत नोटिस की तामील के उपरांत आवेदकगण के विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। विद्वान ए.जी.ए. ने यह भी इंगित किया कि आवेदक उदय प्रताप सिंह के विरुद्ध दो अन्य आपराधिक प्रकरणों का आपराधिक इतिहास विद्यमान है, किन्तु उन्होंने निष्पक्षतापूर्वक यह स्वीकार किया कि दोनों प्रकरण केवल सामान्य प्रकृति के अपराधों से संबंधित हैं।
7. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुना तथा प्रकरण के अभिलेख का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया।
8. यद्यपि आवेदकगण, जो सूचनाकर्त्री के क्रमशः जेठ एवं ननदोई हैं, के विरुद्ध यह आरोप है कि वे उसके साथ क्रूरता एवं उत्पीड़न करते थे, तथापि अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि विवेचना के दौरान उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया तथा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 35(3) के अंतर्गत नोटिस की तामील किए जाने के उपरांत उनके विरुद्ध आरोप-पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया गया।
9. इसके अतिरिक्त, अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने दिनांक **25.02.2026** को आवेदकगण को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की थी तथा ऐसा कोई आरोप अथवा सामग्री अभिलेख पर उपलब्ध नहीं है जिससे यह सिद्ध हो कि आवेदकगण ने अंतरिम अग्रिम जमानत के दौरान उन्हें प्रदत्त स्वतंत्रता का किसी भी प्रकार से दुरुपयोग किया हो।



10. इसके अतिरिक्त, आवेदक उदय प्रताप सिंह के विरुद्ध दो अन्य आपराधिक प्रकरणों का आपराधिक इतिहास विद्यमान है, तथापि अभिलेख से यह परिलक्षित होता है कि दोनों ही प्रकरण सामान्य प्रकृति के अपराधों से संबंधित हैं।
11. अतः उपर्युक्त विवेचित तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, इस न्यायालय की राय में आवेदकगण विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रिहा किए जाने के अधिकारी हैं।
12. दिनांक 25.05.2026 को पारित आदेश द्वारा आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पूर्व में लगाई गई उन्हीं शर्तों के अधीन पुष्ट किया जाता है। आवेदक विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रहेगा।
13. तदनुसार, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, आवेदकगण का प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।
14. अतः, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, दिनांक 25.02.2026 को पारित आदेश द्वारा आवेदक को प्रदान की गई अंतरिम अग्रिम जमानत को पुष्ट किया जाता है। आवेदकगण उदय प्रताप सिंह एवं अमित रंजन सिंह विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत पर रहेंगे तथा उन पर वही शर्तें लागू रहेंगी, जो इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2026 को पारित आदेश में अधिरोपित की गई थीं।
15. तदनुसार, प्रकरण के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।
16. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकगण को अग्रिम जमानत प्रदान करते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विचारण न्यायालय के विद्वान न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपना स्वतंत्र मत गठित करने में प्रभावित नहीं करेंगी।

**दिनांक : 24 जून, 2026**

**कुमार मनीष**

**(माननीय न्यायमूर्ति समीर जैन)**